

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ए” ब्लॉक, वित्त मंत्र, ज्योति नगर, जयपुर-302005
 (दूरभाष 0141-2740736, फैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :— एफ4 (ई)(1)(6) / पदस्थापन / अलेसे-गा / 1114

दिनांक :— 8/5/18

आदेश संख्या 53/2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थीयों को एतद्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपरिथित देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.-मेरिट क्रमांक / वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HEMANT KUMAR KHANDAL NAND LAL SHARMA 2013/1310-576589	23-Nov-89 GE,ME	SUB TREASURY OFFICER (33371), TREASURIES AND ACCOUNTS, CHITTORGARH, CHITTORGARH	

उपरोक्त अभ्यर्थीयों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है—

- उक्त नियुक्ति एस.वी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 669/2018 अंतर्गत एस.वी. सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खण्डल बनाम नरेश कुमार ठकराल व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 07.02.2018 की अनुपालना में माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर की जाने वाली विशेष अपील याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है।
- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थीयों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ4(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह परिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी.ओ 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमारवत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य गुरुत छोड़कर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण टीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- कार्य ग्रहण करते रामग अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नौनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पैपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थीयों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना स. एफ4(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पै-मेरिट लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- अभ्यर्थीयों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिलास्तार के राजकीय स्वारक्ष्य अधिकारी या उसके उच्चरतर के अधिकारी से स्वारक्ष्य के संबंध में संतोष जनक स्वारक्ष्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपरिथित के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उपरिथित स्वीकार्य नहीं होगी।

Persnol

✓

- 9 अन्यथीयों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की रिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 10 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुमान-ा में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदर्भ नहीं होगा।
- 11 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आवरण परिवीक्षा की समयावधि में रातोप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- 12 उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील रख्या 1464-66/2017 कौप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी एवं उक्त नियुक्तिएस.वी. सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खण्डल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 07.02.2018 के विरुद्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर में दायर की जाने वाली विशेष अपील याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं डी.वी. विशेष अपील याचिका संख्या 1146/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं डी.वी. विशेष अपील याचिका संख्या 1146/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी/दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर चिभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयों/आदेशों एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।
- 13 यदि कोई अन्यथी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलक्षिया एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा करना होगा। अन्यथी विहित ग्राउप में इस आशय का एक वन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करें।
- 14 उपरोक्त अन्यथी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भेजते हैं तो उनके नियुक्त आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (इ)(1)(6)/पदरखापन/अलेसे-ाा/ 1114
प्रतिलिपि निर्मातिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 8/5/18

- शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- वरिष्ठ रानुवत विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर
- अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेखा है कि उपरिथी प्रस्तुत करने वाले अन्यथीयों से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिती रवीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निवेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
- रायधित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ सुश्री.....
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-ाा)